

7/1/25

ग्रामपंचायत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - उदरवारा)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 347/25 दायर दिनांक 27/9/25 निर्णय दिनांक 27/9/25



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.म..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	उदरवारा	66	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर</p> <p>हस्ताक्षर पदवासी</p> <p>पदवासी <u>कपूरजी</u></p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.स. अ.दि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उदरवारा</u> प.ह. <u>उदरवारा</u> खालास <u>66</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर निवेदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-
1. पदवासी पदवार मण्डल

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरास्वकारों जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन (उपखण्ड अधिकारी)
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन